(202)

1

(309)

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

C.F. Rs. 20/-

रमाकान्त पिता दिनेश प्रसाद, निवासी ग्राम पड़खुरी पवाई–588, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता

R. 794 - II/13

बनाम

शिवबालक तनय गंगा कुर्मी, निवासी ग्राम पड़खुरी पवाई–588, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0)

-------गैरनिगराकार्य / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा प्र0क्र0 36अ/12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22/08/2012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2– यह कि आवेदक भूमि नम्बरी 530 एवं 554 स्थित ग्राम पड़खुरी पवाई, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी का भूमि स्वामी व स्वत्वधारी है। आवेदक की उक्त भूमि या प्रकरण में वादग्रस्त सीमांकन की भूमियों की सरहद्दी भूमियाँ हैं, इस कारण आवेदक उक्त सीमांकन कार्यवाही हेतु एक हितबद्ध पक्षकार था किन्तु आवेदक को उक्त सीमांकन की कार्यवाही में बिना किसी

(202)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ--अ

प्रकरण क्रमांक निग.794-II/2013 जिला–सीधी

रमाकांत प्रसाद/शिवबालक कुर्मी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूनाथ द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	